

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बलित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य तिनां जावे जिससे संविदा हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2012/6111

दिनांक: 26/02/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आई.एम.आर निर्दिष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2405662) को
सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित एम.एस.-सी. (निर्दिष्ट) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता
हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(0751-2442784)

(संयोजक)

(2) प्रो. राधा तोमर, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. रेणुका दास, प्राचार्य, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष
निरीक्षण कर शुरू, धरोहर गणि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र,
भवन, हीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति या प्रमाण पत्र के तथा
प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित
करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विराजानुसार
निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन तक महाविद्यालय का विरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कायनिय में निरीक्षण
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। यससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय विरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं
महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जावे गाती अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता
संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के विदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ
है। नियमानुसार अर्धदण्ड जमा करके बनीन समिति गठित की जाएगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना अंत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाजा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रवाली लेकर जावेंगे तथा
महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. /
डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्वर करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, संतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)